रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 1970/आषाढ़ 15, 1892
No. 243] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 1970/ASADHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th July 1970

S.O. 2363.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for period of six months with effect from 25th July 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 जुलाई 1970

सां० नि० 2363.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-7-1970 से 24-1-1971 तक छह मास के लिये केरला में संचारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एंड क्यू०)]

S.O. 2364.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for period of six months with effect from 7th July 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q).]

सां० नि० 2364.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7-7-1970 से 6-1-1971 तक छह मास के लिये राजस्थान में संवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 2365.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for period of six months with effect from 17th July 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II((G&Q).]

सां० नि० 2365.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लखित व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-7-1970 से 16-1-1971 तक छह मास के लिये बिहार में संवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[स० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 2366.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for period of six months with effect from 8th July 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II((G&Q).]

सां० नि० 2366.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-1970 से 7-1-1971 तक छह मास के लिये पश्चिमी बंगाल में संवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[स० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 2367.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Haryana for period of six months with effect from 8th July 1970 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II((G&Q).]

सां० नि० 2367.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी 8-7-1970 से 7-1-1971 तक छह मास के लिये हरियाना में संवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०- (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 2368.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for period of six months with effect from 23rd July 1970 as active duty

[No. F. 9/28/69-BS.II((G&Q).]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

सां० का० 2368.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-7-1970 से 22-1-1971 तक छह मास के लिये दिल्ली में सवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू०).]

बी० वेंकटरामन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970